

केंद्रीय विद्यालय सेक्टर – 3 , रोहिणी

सूचना

दिनांक – 06-08-2020

सन्दर्भ – फ.190331/2020/के.वि.सं.(दि.सं.)/स.आ.(एन.के.)/स्थानांतरण/ दिनांक – 29.07.2020

विषय : केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों का एक केन्द्रीय विद्यालय से दूसरे केन्द्रीय विद्यालय में स्थानांतरण जबकि उनके माता/पिता का स्थानांतरण न हुआ हो (प्रवेश मार्गदर्शिका अनुच्छेद 7 (III), 7 (IV)) – के सम्बन्ध में

सभी को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों का एक केन्द्रीय विद्यालय से दूसरे केन्द्रीय विद्यालय में स्थानांतरण जबकि उनके माता/पिता का स्थानांतरण न हुआ हो (प्रवेश मार्गदर्शिका अनुच्छेद 7 (III), 7 (IV)), का दिल्ली संभाग के केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानांतरण अगस्त / सितम्बर 2020 में संभाग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा | विभिन्न चरणों के लिए प्रस्तावित तिथियाँ निम्नवत हैं:

प्रथम चरण

- i) अभिभावकों द्वारा आवेदन तथा इच्छित केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म जमा करने की अवधि 08.08.2020 से 15.08.2020

[Click here to download the form](#)